कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्य 1365 **FP/UK/ROAD/19607/2015** देहरादूनः दिनांकः 09 नवम्बर ,2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद– देहरादून में सहसपुर के अन्तर्गत नौ बीघा रिखोली मुख्य मार्ग के कि0मी0 16 से नारायण सिंह के घर तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। **FP/UK/ROAD/19607/2015**

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में वन संरक्षक, कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड़, देहरादून, के पत्रांक 879/12–1 (1) दिनांक 06–10–2016 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या मय संलग्नक सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	**EDS**	**REPLY**
1	मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति प्रस्ताव में उपलब्ध नहीं है।	मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव के संन्दर्भ में की गई संस्तुती फॉर्म ए के पार्ट।। के सैक्सन 16 में अपलोडेड है।
2	उक्त मामले से कितने गांव व कितनी जनसंख्या लाभान्वित हो रही है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा बताया गया है। विषयांकित मार्ग के निर्माण से 6 गांवो की कुल 288 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र 33 में चस्पा किया गया है।
3	मामले के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की संस्तुती प्रस्ताव में उपलब्ध नहीं है।	विषयांकित मार्ग के निर्माण हेतु आपेक्षित भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रपत्र –4 (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट) एंव प्रपत्र –9 (अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र) प्रस्ताव में चस्पा किया गया है। जिसमें जिलाधिकारी, देहरादून के सहमुहर हस्ताक्षर है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार) 9/11/16
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

ON LINE DISPATCH

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 879 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून, अक्टूबर, 6, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

विषय : जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के अंतर्गत नौ बीघा रिखोली मुख्य मार्ग के कि0मी0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु आपेक्षित 0.8890 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को वन संरक्षण अधिनियमम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सदर्भ– FP/UK/ROAD/19607/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक 08.09.2016 को आपके माध्यम से ऑन लाइन प्राप्त उत्तराखण्ड शासन की क्वैरी (पत्रांक 908/X-4-16-1 286/2016 दिनांक 05.09.2016) का निराकरण कर आख्या निम्न प्रकार से ऑन लाइन प्रेषित है। प्रस्तावक विभाग व प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा क्वैरी के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गई आख्या संलग्न है।

क0 सं0	शासन की क्वैरी	निराकरण आख्या
1	मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति प्रस्ताव में उपलब्ध नहीं है।	कार्यवाही अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी महोदय के स्तर से की जानी है।
2	उक्त मामले से कितने गांव व कितनी जनसंख्या लाभान्वित हो रही है।	विषयांकित मार्ग के निर्माण से 6 गांवों की कुल 288 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र–33 में चस्पा किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
3	मामले के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की संस्तुति प्रस्ताव में उपलब्ध नहीं है।	विषयांकित मार्ग के निर्माण हेतु आपेक्षित भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रपत्र–4 (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट) एवं प्रपत्र–9 (अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र) प्रस्ताव में चस्पा किया गया है जिसमें जिलाधिकारी, देहरादून के सहमुहर हस्ताक्षर हैं। प्रति संलग्न है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
6/10
(जन्मेजय सिंह)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग को उनके पत्रांक 1271/12–1 दिनांक 03–10–2016 के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

(जन्मेजय सिंह)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1271 / 12-1 दिनांक, मसूरी 03 –10–2016।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– **जनपद–देहरादून के विकास खण्ड़ सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एंव ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा–रिखोली मुख्य मार्ग के किमी0 16 से नारायण सिहं के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड़ देहरादून को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– अनु सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन, की पत्र सं0 908 /X–4–16–1(286)/2016, वन एंव पर्यावरएण अनुभाग–4, दिनांक 05, सितम्बर 2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा सन्दर्भित पत्र में निम्न 03 बिन्दुओं की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है। उक्त कम में प्रस्तावक /ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 1046/ग्रा0नि0वि0/अनु0–रिखोली/2016–17, दिनांक 29–09–2016 (प्रति संलग्न) द्वारा बिन्दु सं0 2 व 3 के सम्बन्ध में निम्न सूचना /दस्तावेज अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराये गये हैः–

क0सं0	बिन्दु	आख्या
1.	मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति प्रस्ताव में उपलब्ध नही है।	बिन्दु सं0 1 से सम्बधित मुख्य वन संरक्षक, महोदय की संस्तुति प्रस्ताव में चस्पा किये जाने हेतु अनुरोध है कि अपने स्तर से वांछित संस्तुति प्रदान करने की कृपा करें।
2.	उक्त मामले से कितने गांव व कितनी जनसंख्या लाभाविन्त हो रही हैं	विषयांकित मार्ग के निर्माण में (6) छः गावों की कुल 288 की जनसंख्या लाभाविन्त हो रही है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र–33 में चस्पा किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
3.	मामले के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की संस्तुति प्रस्ताव में उपलब्ध नही है।	विषयांकित मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रपत्र–4 (संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट) एंव प्रपत्र– 9 (अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यनतम होने का प्रमाण–पत्र) प्रस्ताव में चस्पा किया गया है जिसमें जिलाधिकारी, देहरादून की संस्तुति सम्बन्धित समुहर हस्ताक्षर है। प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक– उक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 साकेत बडोला भा.व.से.)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1271/ ( ) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड़, देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 साकेत बडोला भा.व.से.)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड देहरादून।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

पत्रांक 1046 ग्रा0नि0वि0 /अनु0–रिखोली/ 2016–17 दिनांक : 29/09/2016

विषय: जनपद देहरादून में विकासखण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत 09 बीघा रिखोली मुख्य मार्ग के किमी0 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़के के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.889 हे0 वन भूमि का गैरवानित कार्य हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड देहरादून को वन अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

महादेय,

आपके कार्यालय पत्र सं0 983/12–1 दिनांक 06.09.2016 एवं अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न पत्र के कम में चाही गयी बिन्दुवार सूचना निम्न है–

1. बिन्दु सं0 01 मुख्य वन संरक्षक से सम्बन्धित हैं।
2. बिन्दु सं0 02 में चाही गयी सूचना के सन्दर्भ में प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में प्रपत्र 33 पर सूचना अंकित है।
3. बिन्दु सं0 03 में चाही गयी सूचना हेतु प्रपत्र 09 व प्रपत्र 11.1 तथा प्रपत्र 04 पर प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में संलग्न है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त प्रपत्रों की छांयाप्रति संलग्न की जा रही है।

अतः सूचना सेवा में प्रेषित है।

संलग्न–उक्तानुसार ।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड–देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार–

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता (तृतीय), ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड देहरादून।

प्रपत्र - 4

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

विकासखण्ड सहसपुर एवं ग्रामीण सड़क एवं ड्रेनेज विभाग के पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्रांक 1539/12–1, दिनांक 02–11–2015 के अनुपालन में दिनांक **दिनांक 16–11–2015 एवं 12–03–2016** को अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के निम्न अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न की गई :–

(1) श्री जगमोहन जुवांठा, वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी रेंज।
(2) श्री विकास अणथ्वाल, अपर सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग।
(3) श्री आर0के0सिंह, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग।
(4) श्री बलबीर सिंह रावत, वन दरोगा, मसूरी रेंज।
(5) श्री जगदीश कुमार, राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र रिखोली।
(6) श्री दिवान सिंह, वन बीट अधिकारी, रिखोली बीट।

(1) प्रश्नगत स्थल रिखोली क0सं0 7 आरक्षित वन के अन्तर्गत पड़ता है।

(2) नौवीघा (नारायण सिंह के घर के पास) से रिखोली मोटर मार्ग तक एक पुराना मार्ग अवस्थित है, जिसकी नपत निम्न प्रकार प्रेषित है–

क0सं0	प्रस्तावित कार्य का विवरण	क्षेत्र का स्वरूप	संख्या	प्रस्तावित भूमि की नपत			
				लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (व0मी0में)	क्षेत्रफल (है0में)
1	मोटर मार्ग	आरक्षित वन रिखोली–7,	1	1270	7	8890	0.8890
		नाप भूमि ग्राम रिखोली	1	160	7	1120	0.1120
		योग–		**1430**		10010	**1.0010**

संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के अनुसार उक्त मार्ग राजस्व अभिलेखों में औसत 7 मीटर चौड़ा कच्चा मार्ग दर्ज है। उक्त मार्ग का 1270 मीटर भाग रिखोली आरक्षित वन क0सं0 7 के अन्तर्गत पड़ता है, तथा शेष 160 मीटर मार्ग नापभूमि है।

(4) वर्णित स्थल की जी0पी0एस0 रीडिंग निम्न प्रकार है–

N- 30°-25'-22.7" E- 078°-01'-13.4" Hight- 544 M.
N- 30°-26'-0.22" E- 078°-02'-13.5" Hight- 499 M.

(5) उक्त मार्ग में ग्रामीण सड़क एवं ड्रेनेज विभाग, देहरादून द्वारा सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य किया जाना जाना है तथा पूर्व निर्मित कच्चे मार्ग के समरेखण में परिवर्तन नहीं किया जाना है। उक्त प्रस्तावित कार्य में कोई वृक्ष बाधक नहीं होगा।

आरक्षित वन में मार्ग के सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य करने पर मौके पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधान लागू होंगे।

(आर0के0सिंह)
सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।

(विकास अणथ्वाल)
अपर सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।

(जगमोहन जुवांठा)
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज।

(दिवान सिंह नेगी)
वन बीट अधिकारी,
रिखोली बीट।

12-3-16
(बलबीर सिंह रावत)
वन दरोगा,
मसूरी रेंज, मसूरी।

22.3.16
(जगदीश कुमार)
राजस्व उप निरीक्षक,
क्षेत्र रिखोली।

जगदीश कुमार
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र रिखोली

c/s

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड देहरादून

District Magistrate
Dehradun.

New UNF land transfar

प्रपत्र –9

परियोजना का नामः– जनपद–देहरादून के विकास खण्ड़ सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एंव ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा–रिखोली मुख्य मार्ग के किमी0 16 से नारायण सिहं के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है0 वन भूमि का ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड़ देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.8890 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नही है।

ह0/ अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड देहरादून प्रयोक्ता एजेन्सी	ह0/ प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	451 ह0/ जिलाधिकारी District Magistrate Dehradun.

वन क्षेत्राधिकारी मसूरी रेंज मसूरी वन प्रभाग	उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग देहरादून

प्रपत्र –33

परियोजना का नामः– जनपद–देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एंव ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा–रिखोली मुख्य मार्ग के किमी0 16 से नारायण सिहं के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है0 वन भूमि का ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
रिखोली	38	318
बरसारी	06	25
बसियाना	03	15
नौ विघा	15	138
जोड़ीखाला	02	12
किमाणी	27	288

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड देहरादून
प्रयोक्ता एजेन्सी